न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :— 115 / 2021

प्रार्थीगणः—

1. रतनाराम पुत्र पुरखा उर्फ पुखाराम लचेटा जाति सिरवी
2. तेजाराम पुत्र पुरखा उर्फ पुखाराम लचेटा जाति सिरवी निवासीगण बेरा बरफा की नोक, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3. सुगणीबाई पुत्री पुरखा उर्फ पुखाराम लचेटा पत्नी कुनाराम मुलेवा जाति सिरवी निवासी खोखरा तह0 सोजत जिला पाली
4. राज0।
   मीराबाई पुत्री पुरखा उर्फ पुखाराम लचेटा पत्नी तिलोकराम हाम्बड़ जाति सिरवी निवासी बड़ागुड़ा
5. तह0 सोजत जिला पाली राज0।
   केसी बाई पुत्री पुरखा उर्फ पुखाराम लचेटा पत्नी मांगीलाल गहलोत जाति सिरवी निवासी
6. मेलावास तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज0।
   शांतिबाई पुत्री पुरखा उर्फ पुखाराम लचेटा पत्नी कालूराम पंवार जाति
7. सिरवी निवाी मण्डला तह0 सोजत
8. जिला पाली राज0।
   पीताराम पुत्र ओगड़राम आगलेचा
   बाबुलाल पुत्र ओगड़राम आगलेचा जातिगण सिरवी निवासीगण
9. खारियानींव तह0 सोजत जिला पाली राज0।
   मीरा पुत्री ओगड़राम पत्नी
10. भंवरजी पंवार जाति सिरवी निवासी राजादण्ड तह0 जैतारण जिला पाली राज0।
    सनती उर्फ संतोष पुत्री ओगड़राम पत्नी राजाराम गहलोत जाति सिरवी निवासी खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राज।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. कुनाराम पुत्र आदुराम लचेटा जाति
2. सिरवी
   घीसाराम उर्फ घीसू पुत्र रूपा उर्फ रूपाराम लचेटा जाति सिरवी निवासीगण
3. बेरा झालरा, बगड़ी नगर तह0 सोजत
4. जिला पाली राज0।
   जोगाराम पुत्र हेमला उर्फ हेमाराम
   ढगलीदेवी पत्नी हेमला उर्फ हेमाराम जाति सिरवी निवासीगण बेरा झालरा बगडीनगर तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी Tuisi Hardware and
5. Electrocals No 3/2 Kalainagar Street Thirumudivakkam Chennai 6000&44
   हिम्मताराम पुत्र हेमला उर्फ हेमाराम
6. जाति सिरवी निवासी बेरा झालरा
7. बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली
   पावुदेवी पत्नी तुलछिया उर्फ तुलसाराम
   मगाराम पुत्र तुलछिया उर्फ तुलसाराम जातिगण सिरवी निवासीगण बेरा सुगालिया बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी Shri Balaji
8. Electricals 1/154 Poonamalle High Road Vanagaram Maduravoyal Chennai 600095
   दुर्गाराम पुत्र तुलछिया उर्फ तुलसाराम जाति सिरवी निवासी बेरा सुगालिया बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली
9. हाल निवासी Annapurna Electricals & Hardware 6&1&08] Near Pudami School Karimguda Road Rampally Vill Keesara Mdl, Medchal Sist Telangana
   वालाराम पुत्र तुलछिया उर्फ तुलसाराम जाति सिरवी निवासी बेरा सुगालिया बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली
10. हाल निवासी Sri Matha ji Electricals & Plumbing No 173 Vanagaram Main Road Canapathy Nagar Alapakkam
11. Chennai 600095
    बुद्धाराम पुत्र तुलछिया उर्फ तुलसाराम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

12. जाति सिरवी निवासी बेरा सुगालिया बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
कन्हैयालाल पुत्र चौथाराम जाति सिरवी उम्र निवासी माताजीनगर सोजतरोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
13. पानी पुत्री ओगड़राम पत्नी अणदाराम जी चोयल जाति सिरवी निवासी जेलवा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल निवासी Saraswathi Fashion Shop No 104-1st Floor Dinkson avenue T.N Settee Lane Avenue Road Cross Bangalore 560053
तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : – 22/05/24

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बगड़ी नगर चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में कृषि भूमि स्थित है, जिसके खसरा नंबर 2 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नंबर 3 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 4 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.4900 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.9000 हैक्टर है। इस कृषि जोत की भूमि को इस प्रार्थना पत्र में आगे वादस्थ कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। गत सेटलमेंट के खसरा नंबर से वर्तमान सेटलमेंट के जो खसरा नंबर बनाये गये है, जिसका विवरण इस प्रकार है कि पुराने खसरा नंबर 3, 4 मी, 3 मी, 3 मी, 3 मी से बने वर्तमान नये खसरा नंबर क्रमशः 2, 3, 4, 5 बने हैं। गत सैंटलमेंट के खसरा नंबरान के खातेदार आदु 1/5 हिस्सा, पुरखा उर्फ पुखा 1/5 हिस्सा, हेमला उर्फ हेमाराम 1/5 हिस्सा, धीसा उर्फ धीसू 1/5 हिस्सा, तुलछिया उर्फ तुलसाराम 1/5 हिस्सा पीसरान रूपा उर्फ रूपाराम कौम सिरवी की खातेदारी रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज सुदा थी, जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 व खसरा मिलान से स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 1 कुनाराम का सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाते हुए विधि विरूद्ध रूप से वादस्थ कृषि भूमि में 1/4 हक हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नाजायज फायदा उठाते हुए वादस्थ कृषि भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

अपना 1/5 हक हिस्सा खातेदारी हक के स्थान पर 1/4 हक हिस्सा खातेदारी हक बताते हुए कब्जे के अभाव में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08/06/2021 के वादस्थ कृषि जोत की भूमि में 1/4 हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 11 कन्हैयालाल के पक्ष में विक्रय कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 कुनाराम का वादस्थ कृषि भूमि में 1/5 हक हिस्सा खातेदारी हक था एवं उसे 1/5 हक हिस्सा खातेदारी हक का ही विक्रय करने का अधिकार था। ऐसी स्थिति में वादस्थ कृषि जोत की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 कुनाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08/6/2021 के किये गये खातेदारी हक के विक्रय से अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में केवल 1/5 हक हिस्सा खातेदारी हक का अन्तरण हुआ है, न कि 1/4 हक की खातेदारी का है। अप्रार्थी संख्या कुनाराम का वादस्थ कृषि जोत की भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादस्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 धीसा उर्फ धीरा का 1/5 हिस्सा खातेदारी हक का होता है, अप्रार्थी संख्या 2 धीसा उर्फ धीसू ने वादस्थ कृषि भूमि में से वर्तमान सेटलमेंट के खसरा नंबर 2 रकबा 0.8900 हैक्टर का रेवेन्यू रेकर्ड में उसका 1/4 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश गलती से दर्ज हो जाने की वजह से उसने अपना हिस्सा खातेदारी हक का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24/08/2020 को प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय कर दिया। अप्रार्थी संख्या 2 का वादस्थ कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा खातेदारी हक होने की वजह से वर्तमान सेटलमेंट के खसरा नंबर 02 का उक्त विक्रय पत्र दिनांक 24/8/2020 से प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में केवल 1/5 हिस्से का ही अनारण हुआ है। इस अन्तरण के पश्चात वर्तमान सेटलमेंट के खसरा नंबर 2 में प्रार्थी संख्या 1 स्वयं का 1/35 हिस्सा में धीसा उर्फ धीसू से क्रय किया गया, 1/5 हिस्सा जोड़ते हुए 8/35 हिस्सा खातेदारी हक हो गया है, धीसा उर्फ धीसू का अब खसरा नंबर 02 में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादस्थ कृषि भूमि की भूमि के खसरा नंबर 3, 4 एवं 5 में अप्रार्थी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा खातेदारी हक है। हेमला उर्फ हेमाराम के अप्रार्थी संख्या 3 से 5 पुत्र/पत्नी है। हेमला उर्फ हेमाराम की मृत्यु होने पर वादस्थ कृषि भूमि की भूमि में उसके 1/5 हक हिस्सा खातेदारी हक अप्रार्थीगण संख्या 3, 4 एवं 5 मे बराबर–बराबर अर्न्तनिहित हुआ। तुलछिया उर्फ तुलसाराम की पत्नी अप्रार्थी संख्या 6 पाबुदेवी एवं अप्रार्थी संख्या 7 मगाराम, संख्या 8 दुर्गाराम, संख्या 9 वालाराम, तथा संख्या 10 बुद्धाराम पुत्र है। तुलछिया उर्फ तुलसाराम की मृत्यु होने पर उसका 1/5 हिस्सा खातेदारी हक अप्रार्थीगण संख्या 6, 7, 8, 9 एवं 10 में बराबर–बराबर अर्न्तनिहित हुआ। प्रार्थी संख्या 1 से 11 एवं अप्रार्थी संख्या 12 के पूर्वज पुरखा उर्फ पुखाराम ने दिनांक 07/10/1978 को अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5 के पिता/पति हेमाराम, अप्रार्थी संख्या 6 से 10 के पिता/पति तुलसाराम व अप्रार्थी संख्या 1 कुनाराम व उमाराम पीसरान आदुराम के पक्ष में सरहद मौजा ग्राम बगड़ीनगर तहसील सोजत में स्थित भूमि जो कि बेरा झालरा के नाम से जानी आती है, मय जाव के नये खसरा नंबर 2107 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नंबर 2108 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा नंबर 2846 रकबा 0.5300 हैक्टर, कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.2300 हैक्टर में

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

से 1.44 हैक्टर चाही प्रथम व 0.2500 हैक्टर जाव प्रथम, खसरा नंबर 0.5400 हैक्टर बंजड जिसके पुराने खसरा नंबर 2129/2695, 2129/2697, 2140/2698 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से पुरखा द्वारा 1/5 हक हिस्सा एवं पुराने खसरा नंबर 2128 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन धेड़ जिसके नये खसरा नंबर 2845 गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नंबर 2847 कुआ, खसरा नंबर 2848 सड़ा में अपने 1/10 हक हिस्से का विक्रय किया गया, जो कि रजिस्टर्ड बेचान से स्पष्ट है। लेकिन प्रार्थीगण संख्या 1 से 10 एवं अप्रार्थी संख्या 12 के पूर्वज पुरखा द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3 से 5 के पिता पति व अप्रार्थी संख्या 6 से 10 के पिता/पति कभी भी उक्त वादस्थ कृषि भूमि का कोई विक्रय नहीं किया गया। न ही कब्जा सुपुर्द किया गया। अर्थात् उपरोक्त रजिस्टर्ड बेचान अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज पुरखा द्वारा वादस्थ कृषि भूमि के खसरा नंबर 2 से 5 की भूमि का कोई विक्रय अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि वादपत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में पुरखा का 1/5 हक हिस्सा कानूनन निहित था, तथा पुरखा के स्वर्गवास हो जाने से प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व पुत्री होनीबाई के स्वर्गवास से प्रार्थी संख्या 7 से 10 व अप्रार्थी संख्या 12 वैध उत्तराधिकारी / वारिसान होने से उनका हक हिस्सा निहित हो चुका था। जिसके अनुसार आज भी मौके पर काबिज काश्त है कि पुरखा द्वारा माफिक बेचान रजिस्टर्ड दिनांक 7/10/1978 के सन्दर्भ में वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट अधिकारी श्रीमान एआरओ साहब जोधपुर कैम्प बगड़ी में उपरोक्त बेचान में वर्णित खरीददारान अप्रार्थी संख्या 1 व उसका भाई उमाराम, अप्रार्थी संख्या 2 घीसाराम व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता पति द्वारा विक्रयकर्ता पुरखा उर्फ पुखाराम के विरूद्ध दरख्वास्त बाबत आदु पुत्र रूपा उर्फ रूपाराम के फौतेदगी म्यूटेशन व दुरूस्ती इन्द्राज कर पुखाराम का 1/5 हक हिस्सा खरीद करना बताकर संलग्न रजिस्ट्री प्रस्तुत कर आवेदन प्रस्तुत किया, जो आवेदन वादस्थ भूमि के संबंधित न होकर बेचान में वर्णित भूमि का था, तथा उसी अनुसार दुरूस्ती इन्द्राज की जानी चाहिए थी। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्या 99/1979 बअनवान सायल हेमला पुत्र रूपाजी बेनाम पुरखा दर्ज की जाकर दिनांक 15/04/1979 को यह आदेश प्रदान किया कि ग्राम बगड़ीनगर के पर्चा लगान 635 पर आदु पुत्र रूपा फौत हो चुका है। जिसके वारिस का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सरपंच का शामिल पत्रावली हो चुका है। वारिसान दर्ज किये जाते है। पुरखा पुत्र रूपा द्वारा अपने हक हिस्से माफिक बेचान रजिस्ट्री दिनांक 07/10/1978 को खरीददार के नाम कर चुका है, माफिक रजिस्ट्री विरासत तस्दीक अनुसार पर्चा लगान नंबर 635 का इन्दाज हस्व जेल किया जाने, उपरोक्त आदेशानुसार उपरोक्त कृषि भूमि जो कि बेचान रजिस्ट्री दिनांक 07/10/1978 में वर्णित थी। उसका ही आदेश पारित किया गया, न की पुरखा की वादस्थ कृषि भूमि के संबंध में, लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों सेटलमेर अधिकारियों ने विधि विरूद्ध रूप से अपने अधिकारिता से परे जाते हुए यह जानते हुए कि वादस्थ कृषि भूमि के संबंध में कोई भी बेचान दस्तावेज पुरखा द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी विक्रय पत्र दिनांक 07/10/1978 की अनदेखी करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

लापरवाहीपूर्वक एवं असावधानीपूर्वक सेटलमेंट के खसरा मिलान के पत्रक में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किये बिना, बिना पुरखा की सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किये वादस्थ भूमि के संबंध में दर्ज खातेदारी इन्द्राज को परिवर्तित करते हुए वादस्थ भूमि के संबंध में पुरखा का नाम हटाया जाकर वादस्थ भूमि में हेमला 1/4, घीसा 1/4, तुलछिया 1/4, उमा पुत्र आयु 1/8, कुनाराम 1/8 पीरारान आदुराम विधि विरूद्ध दर्ज कर दिया, जबकि सेटलमेंट अधिकारियों को उपरोक्त वादस्थ भूमि के संबंध में दर्ज खातेदार पुरखा का नाम हटाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, न ही सेटलमेंट अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के परिवर्तित करने का कोई अधिकार प्राप्त था। इसलिए सेटलमेंट अधिकारियों एवं राजस्य कर्मचारियों द्वारा वादस्थ कृषि भूमि के संबंध में विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के पूर्वज पुरखा का नाम हटाकर उन्नके स्थान पर अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का नाम दर्ज किया जो इन्द्राज प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारों के विपरित होने से प्रारम्भतः शून्य अवैध व निष्प्रभावी है। वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पैतृक पुश्तैनी हक हिस्से को हड़प कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आधार पर अन्यत्र नेवान हस्तानान्तरण करने की एलानियां धमकियां देते है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने पर हर समय उतारू रहते है। ऐसे दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 11 को वादस्थ भूमि के संबंध में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। जबकि मौके पर आज भी प्रार्थीगण स्वर्गीय पुरखा के 1/5 हक हिस्से पर ही कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। क्योकि वादस्थ भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज पुरखा उर्फ पुखाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है, उक्त कृषि भूमि में पुरखा उर्फ पुखाराम का 1/5 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का निहित है, जो कि राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी व खसरा मिलान से साबित है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 09.02.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 से 9 व 13 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजें दिलाई जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं0 11 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया, सा.मि. किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11 कन्हैयालाल की ओर से जबाब प्रा0 पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने बिल्कुल ही गलत एवं झूठे तथ्य के आधार पर आधारहीन वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें प्रार्थीगण कतई सफलता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने सरहद मौजा ग्राम बगडी तहसील सोजत के खसरा संख्या 02 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा संख्या 03 रकबा 0.3000 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 04 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 05 रकबा 0. 4900 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.9900 हैक्टर कृषि भूमि होना बताया है, जो सही है। उक्त कृषि भूमि के गत सेटलमेन्ट के खसरा संख्या 3, 4 मीन के खातेदार आदू 1/5, पुरखा उर्फ पुखा 1/5 हिस्सा, हेमला उर्फ हेमाराम 1/5 हिस्सा, घीसा उर्फ घीसू 1/5 हिस्सा, तुलसीया उर्फ तुलछाराम 1/5 हिस्सा, पिसरान रूपा उर्फ रूपाराम के खातेदारी दर्ज होना बताया है, जो प्रार्थी स्वयं अपने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थी संख्या 01 रतनाराम, प्रार्थी संख्या 02 तेजाराम प्रार्थी संख्या 03 सुगनी प्रार्थी संख्या 04 मीराबाई, प्रार्थी संख्या 05 कैसीबाई प्रार्थी संख्या 06 शांतिबाई, पुरखा उर्फ पूखा के पुत्र व पुत्रीगण होना लिखा है तथा साथ ही प्रार्थीगण ने पुरखा उर्फ पुखा के एक पुत्री होनी बाई पत्नी श्री ओगड़राम जाति सीरवी निवासी खारिया नींव होना बताया है। उसकी मृत्यु होना भी लिखा है। जो प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। प्रार्थीगण ने आदुराम जी का पुत्र उगाराम को लाऔलाद मृत्यु होने व उनके हिस्से की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 कुनाराम में निहित होने के कथन किये है, जो प्रार्थी स्वंय साबित करें। प्रार्थीगण ने कथन किये कि अप्रार्थी संख्या 01 कुनाराम का सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा 1/4 हिस्सा गलत दर्ज होने के कथन किये है. जो प्रार्थी अपने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। जबकि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा बतौर खातेदार इन्द्राज सुदा है। अप्रार्थी संख्या 1 से अप्रार्थी 11 कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 08/06/2021 को उक्त कृषि भूमि के 1/4 हिस्से को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा अप्रार्थी संख्या 11 बोना फाईड पर्चेजर है तथा खरीद की गई कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है कि अप्रार्थी संख्या 01 कुनाराम का 1/4 हिस्सा नहीं हो, प्रार्थी ने वर्तमान सेटलमेन्ट के खसरा संख्या 02 रकबा 0.8900 हैक्टर का रेवेन्यू रेकर्ड में 1/4 हिस्सा त्रुटिवश गलत दर्ज होने के कथन किये है। तथा विक्रय पत्र दिनांक 24/08/2020 के प्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में विक्रय करने के कथन किये, जो प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थी ने अपने वादपत्र में उक्त बेचान रजिस्ट्री से 1/5 हिस्से का ही अन्तरण होने का कथन किया है, जबकि प्रार्थी स्वयं के कथनानुसार उक्त रजिस्ट्री के 1/4 हिस्से की होना बताया है, जो अपने आप में विरोधाभाषी है। प्रार्थीगण ने धीसा उर्फ धीसू का 8/35 हिस्सा खातेदारी होना बताया है जो स्वयं प्रार्थी साबित करे, शेष तथ्य अप्रार्थी संख्या 11 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद सख्या 03 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 01 से 11 व अप्रार्थी संख्या 12 के पूर्वज पुरखा उर्फ पुखाराम ने दिनांक 07/10/1978 को अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के पिता हेमाराम अप्रार्थी संख्या 06 से 10 के पिता तुलछाराम, अप्रार्थी संख्या 01 कुनाराम व उमाराम पिसरान आदूराम के पक्ष में सरहद मौजा बगडी के खसरा संख्या 2107, 2108, 2846 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.2300 हैक्टर में से 1.4400 हैक्टर कृषि भूमि में 1/5 हिस्से व पुराने खसरा संख्या 2128, 2845, 2847 व 2846 में 1/10 हिस्से को क्रय होना बताया है, जो प्रार्थीगण स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। शेष तथ्य अप्रार्थी संख्या 11 की जानकारी के अभाव

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी ने पुरखा द्वारा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 07/10/1978 के संदर्भ में ए.आर.ओ. साहब, जोधुपर केम्प बगड़ी में बेचान में वर्णित खरीददारान अप्रार्थी संख्या 01 व उसके भाई उमाराम, अप्रार्थी संख्या 02 घीसाराम, अप्रार्थी संख्या 03 से 05 के पिता द्वारा विक्रयकर्ता पुरखा के विरूद्ध दरखास्त आदु पुत्र रूपा के द्वारा फौतेदगी म्यूटेशन दुरूस्ती इन्द्राज कर पुखाराम का 1/5 हिस्सा खरीद करना बता कर आवेदन किया हो तो अप्रार्थी संख्या 11 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पत्रावली संख्या 99/1979 बअनवान हेमला बनाम पुरखा की जानका दिनांक 15/04/1979 को आदेश प्रदान किया गया, जिसका पर्चा लगान 635 जारी किया हुआ है, उक्त पर्चा लगान में खातेदारीरान का हिस्सा दर्ज किया हुआ है। तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। न ही कोई अंदेखा किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा बताये गये आदेश के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अप्रार्थी संख्या 11 बोना फाईड पर्चेजर होने से माफिक खरीद की गई कृषि भूमि पर बतौर खातेदार शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के निर्वाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की नियति में फर्क़ आ गया है तथा यह झूठा दावा मात्र अप्रार्थी संख्या 11 को हैरान परेशान करने के आशय से पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में पुरखा का कतई 1/5 हिस्सा नहीं है। सेटलमेन्ट के दौरान ए.आर.ओ. साहब ने पक्षकारान को सुनकर ही आदेश पारित किया है, जब पुरखा का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा व 1/5 हिस्सा था ही नहीं तो उनके वारिसान प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में हक हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है। कि अप्रार्थी सख्या 11 का 1/5 हिस्सा है तथा 1/5 हिस्से का ही अन्तरण हुआ हो, जबकि अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि को खरीद किया है तथा राजस्व रेकर्ड में 1/4 हिस्सा ही खातेदारी हक का दर्ज सुदा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 का जवाब इस प्रकार है कि सेटलमेन्ट एवं राजस्व कर्मचारियो द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है, न ही अप्रार्थीगण की नियति में फर्क आया है, जब प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में कब्जा व पेज नम्बर 06 हक व अधिकार है ही नहीं तो उक्त बेचान रजिस्ट्री दिनांक 08/06/2021 शून्य व निष्प्रभावी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है ही नहीं तो कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 15/07/2021 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर सार सम्माल करने हेतु जाना बताया है तथा अप्रार्थी संख्या 11 मौके पर मिलना बताया, जबकि दिनांक 15/07/2021 को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 11 के बीच में कोई मिलना नहीं हुआ, न ही कोई किसी प्रकार की बातचीत या वार्तालाप हुई। अप्रार्थी संख्या 11 का वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आता है तथा अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

संख्या 11 बोनाफाईड पर्चेचर है, प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा बनता ही नहीं है। प्रार्थीगण कतई स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का वाद काबिले खारिज के है। अप्रार्थी संख्या 11 के द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी किसी प्रकार की धमकियां नहीं दी है। अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का न तो कोई पूर्व में कब्जा था, न ही वर्तमान में कोई कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। बिना कब्जा के प्रार्थीगण कतई खातेदारी हक की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है, न ही स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद करवाने का कतई अधिकारी नही हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 का जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 11 के द्वारा खरीद की गई वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त एवं हक व अधिकार नहीं है, न ही प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार उत्पन्न होते हैं ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में कतई नहीं बनता है। अप्रार्थी संख्या 11 बोनोफाईड पर्चेजर है तथा खरीद की गई कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 11 ने किसी भी राजस्व अधिकारियों से मिलावट नहीं की है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, न ही प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि पर काश्त करते देखा है। अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में निष्पादित बेचान कतई शून्य एवं अवैध नहीं है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थी संख्या 11 को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मुल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आका जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण कतई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अधिवक्ता मय अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जांने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा बगड़ीनगर चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में कृषि के खसरा नंबर 2 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नंबर 3 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 4 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.4900 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 1,9900 हैक्टर की भूमि का अन्यत्र बेचान, रहन, हस्तान्तरण, बक्सीस इत्यादि न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करवाये जाने हेतु अप्रार्थीगण को वादस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान व्यक्तं किया कि अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रतिफल की राशि अदा कर उक्त कृषि भूमि को खरीद किया गया है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण अप्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि से बेदखल कर अप्रार्थी को नुकसान पहुचाना चाहता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

होने से प्रार्थीगण कतई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत व झुठे तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसे खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रथम दृष्टया अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है। उभयपक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में जबाब दावा रेकर्ड पर लिया जाकर तनकीयात कायम कर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान में हस्तगत प्रकरण में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता होता है।

—::आदेश::—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner